

## न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

### बालाघाट (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी-श्री सचिन ज्योतिषी)

व्यवहार वाद क्र.-4ए/2012

संस्थित दिनांक - 30.06.2009

1. साहेबदास पिता स्व. नंदरु बनोटे, उम्र 38 वर्ष,
2. श्रीमती रामवती पति स्व. प्रेमचंद बनोटे, उम्र 56 वर्ष,
3. गेंदलाल पिता स्व. प्रेमचंद बनोटे, उम्र 24 वर्ष,
4. तारेन्द्र पिता स्व. प्रेमचंद बनोटे, उम्र 21 वर्ष,  
सभी निवासी ग्राम बापडी, तह. लांजी जिला बालाघाट
5. श्रीमती भागवती पति मानिक दमाहे, उम्र 30 वर्ष,  
निवासी ग्राम नेवगांव, तह.सालेकसा, जिला गोंदिया (महा.)
6. श्रीमती रैवती पति भूनेश्वर दशारिया, उम्र 27 वर्ष,  
निवासी ग्राम चिखला (बहेला) तह. लांजी,  
जिला बालाघाट.....

वादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1. सुखदास पिता स्व. नंदरु बनोटे, उम्र 55 वर्ष,  
निवासी ग्राम मीरिया, तहसील लांजी, जिला बालाघाट
2. चरणदास पिता स्व. नंदरु बनोटे, उम्र 45 वर्ष,  
निवासी लक्ष्मी नगर, सुपेला, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. श्रीमती मानकुंवर बाई पति सुखदास लोधी, उम्र 50 वर्ष,  
निवासी ग्राम सारीटोला, पनियाजोग, तह. डोंगरगढ़  
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
4. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट,  
तह. व जिला बालाघाट.....

प्रतिवादीगण

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक 29.04.2015 को घोषित)

1. यह वाद ग्राम पसरौड़ी तहसील लांजी जिला बालाघाट स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 43/2ख, 46/1ख एवं ग्राम बापडी स्थित भूमि खसरा नंबर 398/5 रकबा क्रमशः 1.46 एकड़, 0.54 एकड़ तथा 0.08 डिस. एवं उस पर निर्मित मकान के संबंध में स्वत्व की उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. यह अविवादित है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण आपस में खानदानी रिश्तेदार हैं। वादी क.1 तथा वादी क.2 के पति स्व. प्रेमचंद एवं प्रतिवादीगण क.1 से 3 आपस में सगे भाई-बहनें हैं। उनके मूल पुरुष स्व. नंदरु बनोटे थे। प्रतिवादी क.1 से 3 तथा वादी क.1 एवं वादी क.2 के पति एवं वादी क.3 से 6 के पिता स्व. प्रेमचंद सभी स्व. नंदरु की संतानें हैं। स्व. नंदरु की वर्ष 1994 में मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी अर्थात् वादी क.1 एवं प्रतिवादीगण की माँ. श्रीमती मेहंगीबाई की भी वर्ष 2001 में मृत्यु हो चुकी है। स्व. नंदरु के बड़े पुत्र

प्रेमचंद की मृत्यु वर्ष 1993 में हो चुकी है। स्व. प्रेमचंद के विधिक प्रतिनिधि वादी क्र.2 से 6 है। ग्राम परसोड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 43/2ख तथा खसरा नंबर 46/1ख स्व. नंदरू ने दिनांक 12.06.1961 को टीकम वल्द गोसाई लोधी से क़य कर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया है। इसी प्रकार ग्राम बापड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 398/5 एक मकान हाताबाड़ी सहित दिनांक 16.07.68 को साधु पिता बाबु लोधी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क़य कर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया है।

3. स्वीकृत तथा अविवादित तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र का सार यह है कि विवादित संपत्ति स्व. नंदरू की स्वअर्जित संपत्ति रही है। दिनांक 23.04.93 को ग्राम परसोड़ी स्थित उक्त वर्णित विवादित भूमि खसरा नंबर 43/2ख रकबा 1.46 एकड़ में से 0.50 डिस. भूमि स्व. नंदरू द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वादी क्र.2 को विक्रय कर दी गई हैं। जिसके बाद ग्राम परसोड़ी में खसरा नंबर 43/2ख में 0.96 एकड़ भूमि शेष रह गई हैं। स्व. नंदरू ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.04.93 को बड़े पुत्र स्व. प्रेमचंद तथा छोटे पुत्र वादी क्र.1 के हक में ग्राम परसोड़ी स्थित उक्त वर्णित भूमि तथा ग्राम बापड़ी स्थित मकान हाताबाड़ी रजिस्टर्ड वसीयतनामा द्वारा वसीयत कर दी थी। उक्त वसीयतनामा के आधार पर, स्व. नंदरू की मृत्यु दिनांक 23.04.93 के बाद, वसीयतशुदा संपत्ति के एक मात्र मालिक वादी क्र.1 तथा स्व. प्रेमचंद के वारसान अर्थात वादी क्र.2 से 6 है। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने के लिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा की मूल प्रति संबंधित पटवारी को वर्ष 1995 में दी थी, किन्तु तत्समय ग्राम परसोड़ी एवं बापड़ी के पटवारी श्री मेश्राम का दिमागी संतुलन खराब हो जाने से उसके द्वारा वसीयतनामा गुमा दिया गया। इस कारण वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो सका तथा वादी क्र.2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.93 के अनुसार भी खसरा नंबर 43/2ख के रकबा 0.50 डिस. के अभिलेखों में वादी क्र.2 का नाम दर्ज नहीं हो सका। इसके विपरीत प्रतिवादी क्र.1 से 3 ने संबंधित पटवारी से कपटसंधी कर वादीगण के साथ स्वयं का नाम भी अभिलेखों में संयुक्त रूप से दर्ज करवा लिया जिसकी कोई सूचना राजस्व विभाग द्वारा वादीगण को नहीं दी गई ना ही कोई इशतेहार किया गया। स्व. नंदरू की मृत्यु के बाद विवादित संपत्ति वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक या आधिपत्य नहीं रहा है।

4. आगे वादपत्रीय अभिवचन यह है कि, प्रतिवादीगण द्वारा नाम दर्ज करवाने के बाद उन्होंने तहसीलदार लांजी के न्यायालय में वर्ष 2003 में बंटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसका नोटिस वादीगण को दिनांक 22.12.2003 को प्राप्त हुआ और तब न्यायालय में उपस्थित होने पर वादीगण को यह प्रथम बार ज्ञात हुआ कि, विवादित संपत्ति के अभिलेखों में प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त रूप से पटवारी से कपटसंधी कर, दर्ज करवा लिया गया है। उक्त प्रकरण में वादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वसीयतनामा के अनुसार अभिलेख दुरुस्त करने और प्रतिवादीगण का आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया था किन्तु राजस्व न्यायालय द्वारा कोई दुरुस्ती नहीं की गई तथा आदेश दिनांक 08.07.2010 के द्वारा आवेदन निरस्त कर पक्षकारों को स्वत्व के निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय जाने के लिए आदेशित किया गया।

5. प्रतिवादी क्र.1 एवं 2 ने दिनांक 23.04.93 को वादीगण तथा अपने पिता स्व. नंदरू के विरुद्ध एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस आशय का प्रस्तुत

किया था कि स्व. नंदरू विवादित संपत्ति, वादीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार से हस्तांतरित न करे तथा वादीगण, अपने हक में पिता से हस्तांतरित न करवाये। उक्त व्यवहार वाद का क्र.18अ/93 था जो उभयपक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 20.10.93 को निरस्त हो चुका है। इस प्रकार प्रतिवादीगणों को नंदरू द्वारा वादीगण के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 23.04.93 की पूर्ण जानकारी थी। स्व. नंदरू विवादित संपत्ति को वसीयत करने के लिए सक्षम थे। उन्होंने अपनी ईच्छा अनुसार साक्षियों के समक्ष, वसीयतनामा दिनांक 23.04.93 रजिस्टर्ड कर निष्पादित करवाया है। अतः वसीयतशुदा संपत्ति के अभिलेख में वादीगण का नाम तथा वादी क्र.2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की भूमि 0.50 डिस. के अभिलेखों में वादी क्र.2 का नाम दर्ज होना आवश्यक है। संयुक्त रूप से नाम दर्ज करने संबंधी आदेश अवैध एवं प्रभावशून्य है। अतः भूमि खसरा नंबर 43/2ख में से रकबा 0.96 एकड़ तथा खसरा नंबर 46/1ख रकबा 0.54 एकड़ अर्थात् कुल रकबा 1.50 एकड़ तथा मकान एवं हाताबाड़ी में वादीगण के एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा खसरा नंबर 43/2ख में से रकबा 0.50 डिस. भूमि पर, वादी क्र.2 के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में उद्घोषणा की जावे तथा विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

6. प्रतिवादी क्र.1 से 3 द्वारा वादपत्रीय अभिवचनों को कंडिकावार अस्वीकार करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसका सार यह है कि, स्व. नंदरू ने ग्राम बापड़ी की जमीन को बेचकर, ग्राम कनेरी में जमीन ली थी और बाद में ग्राम कनेरी की जमीन बेचकर ग्राम परसोड़ी में, टीकम से जमीन ली थी। स्व. नंदरू की जमीन पैतृक थी, इसी जमीन से प्राप्त राशि से उसने जमीनें खरीदा था। अतः स्व. नंदरू की जमीन पैतृक संपत्ति है न कि स्वअर्जित। अतः उसे वसीयत करने का अधिकार नहीं है। स्व. नंदरू ने अपनी संपत्ति का कोई विक्रय नहीं किया है। उसने मृत्यु पर्यन्त प्रतिवादीगण को यही बताया था कि उसके द्वारा कभी कोई संपत्ति नहीं बेची गई और न ही वसीयत की गई है। स्व. नंदरू के मृत्यु पर्यन्त ग्राम परसोड़ी में 2 एकड़ कृषि भूमि थी। उनके द्वारा कभी भी कोई वसीयतनामा नहीं लिखा गया था। कथित वसीयतनामा फर्जी एवं बनावटी है। स्व. नंदरू लकवा के कारण बातचीत नहीं कर पाते थे और सोचने समझने की शक्ति भी नहीं थी। वादीगण द्वारा उन्हें ईलाज हेतु बालाघाट लाया जाता था, उसी वक्त धोखे से कोई दस्तावेज वादी ने कपटपूर्वक अन्य व्यक्ति का अंगूठा लगाकर वसीयतनामा व विक्रय पत्र निष्पादित कराया होगा जो प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है। वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्व. नंदरू की मृत्यु वर्ष 1993 में हो जाने के बाद पटवारी को कागजात वर्ष 1995 में क्यों दिये गये। यदि पटवारी ने भूलवश वसीयतनामा गुमा दिया था तो वादीगण इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करते जो उन्होंने नहीं किया है। वसीयतनामा व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रोबेट नहीं किया गया है। अतः वसीयत के आधार पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है। स्व. नंदरू के वैधानिक उत्तराधिकारियों का नाम शासन के निर्देशानुसार दर्ज हुआ है। वाद समयावधि बाह्य है। अतः वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

7. उभयपक्षों के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, वाद के सम्यक् निराकरण के लिए मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नांकित वादप्रश्न विरचित किये गये हैं, जो विचारण के दौरान उभयपक्ष को स्वीकार रहे हैं, इनके निष्कर्ष, साक्ष्यगत विवेचना उपरांत उनके समक्ष अंकित है—

**वादप्रश्न****निष्कर्ष**

- 1 क्या वादग्रस्त संपत्ति वादीगण की पैतृक संपत्ति—प्रमाणित नहीं है?
- 2 क्या वादी क्र.1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा—प्रमाणित नहीं। दिनांक 23.04.93 फर्जी एवं कूटरचित है?
- 3 क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वामित्व की—प्रमाणित नहीं। विवादित भूमि स्थित मकान, हाताबाड़ी में दखल दिया जा रहा है?
- 4 क्या वादीगण वांछित आज्ञाप्ति प्राप्त करने के—प्रमाणित है। अधिकारी है?
- 5 सहायता एवं व्यय? —निर्णय पैरा 36 के अनुसार, वाद डिक्री किया गया

**वादप्रश्न क.1 की विवेचना एवं निष्कर्ष—**

8. वादी स्वयं साहेबदास वा.सा.1 ने अपने वादपत्रीय अभिवचनों के अनुरूप ही, शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने यह बताया है कि ग्राम परसोड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 43/2ख तथा खसरा नंबर 46/1ख, उसके पिता स्व. नंदरू ने दिनांक 12.06.1961 को टीकम वल्द गोसाई लोधी से तथा ग्राम बापड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 398/5 एक मकान हाताबाड़ी सहित दिनांक 16.07.68 को साधु पिता बाबु लोधी से रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया है।

9. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसने विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1961 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2सी प्रस्तुत की है और उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादन के संबंध में, उपपंजीयक कार्यालय बालाघाट के पंजीयन लिपिक अनुराग अहिरवार वा.सा.3 के न्यायालयीन कथन करवाये हैं। अनुराग वा.सा.3 पंजीयन कार्यालय के दस्तावेजों सहित, साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ और उसने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि, दिनांक 15.06.1961 को क्रेता नंदरू तथा विक्रेता टीकम वल्द गोसाई लोधी के मध्य खसरा क्र.43/2ख रकबा 1.46 एकड़ व खसरा क्रमांक 46/1ख रकबा 0.46 एकड़ कुल रकबा 2 एकड़, का विक्रयपत्र हुआ है जिसकी मूल प्रति प्रदर्श पी-2 है और प्रदर्श पी-2सी पूर्णतः प्रदर्श पी-2 के अनुरूप है।

10. यद्यपि भूमि खसरा नंबर 398/1 के संबंध में अनुराग अहिरवार अ.सा.3 ने यह बताया है कि, कथित विक्रयपत्र दिनांक 16.07.1968 में क्रेता नंदरू विक्रेता साधु के मध्य भूमि खसरा नंबर 398/1 में से 0.08 डिस. भूमि का रिकार्ड रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है किन्तु अवलोकनीय है कि प्रतिवादी स्वयं साहेबदास प्रति.सा.1 तथा चरणदास प्रति.सा.2 दोनों ने ही प्रतिपरीक्षण में वादी पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि नंदरू ने दिनांक 15.06.61 को ग्राम परसोड़ी की 2 एकड़ कृषि भूमि टीकम वल्द गोसाई से खरीदा था जो प्रदर्श पी-2 सी है साथ ही नंदरू द्वारा साधु से ग्राम बापड़ी

की 8 डिस. भूमि एवं मकान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.07.68 द्वारा क्रय किया गया था।

11. विक्रय पत्र प्रदर्श पी-2सी प्रथमदृष्टया सम्यक रूप से रजिस्टर्ड अभिलेख है अतः उसके सम्यक रूप से निष्पादित और रजिस्टर्ड होने की उपधारणा वादीगण के पक्ष में है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रतिवादीगण ने प्रतिपरीक्षण के प्रारंभिक चरण में ही यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि स्व. नंदरू द्वारा क्रय की गई थी। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श पी-2सी तथा प्रतिवादी साक्षी सुखदास प्रति.सा.1 तथा चरणदास प्रति.सा.2 द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों के समेकित आधार पर वादीगण के यह अभिवचन विश्वसनीय प्रकट होते हैं कि विवादित भूमि स्व. नंदरू द्वारा स्वयं क्रय की गई थी। इस प्रकार वादीगण प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने में सफल रहे हैं कि, विवादित भूमियाँ स्व. नंदरू की स्वअर्जित भूमियाँ हैं।

12. इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह अभिवचन किये गये हैं कि स्व. नंदरू ने ग्राम बापड़ी की जमीन को बेचकर ग्राम कनेरी में जमीन ली थी और बाद में ग्राम कनेरी की जमीन बेचकर ग्राम परसोड़ी में टीकम से जमीन ली थी। स्व. नंदरू की जमीन पैतृक थी, इसी जमीन से प्राप्त राशि से उसने जमीनें खरीदी थी। अतः स्व. नंदरू की जमीन पैतृक संपत्ति है न कि स्वअर्जित।

13. प्रारंभिक तौर पर यह साबित हो जाने के बाद कि विवादित संपत्ति स्व. नंदरू द्वारा क्रय की गई थी, यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर अंतरित हो जाता है कि, स्व. नंदरू को कोई संपत्ति पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, स्व. नंदरू द्वारा, ऐसी किसी पैतृक संपत्ति को विक्रय किया गया था, जिससे इतनी आय प्राप्त हुई थी कि उससे विवादित संपत्ति क्रय की जा सकती थी, विवादित भूमियाँ स्व. नंदरू ने पैतृक संपत्ति को विक्रय कर उससे प्राप्त आय से ही खरीदी थी किन्तु अवलोकनीय है कि प्रतिवादीगण ने अभिवचनाओं में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी कथित पैतृक भूमि कितनी थी और वह भूमि स्व. नंदरू द्वारा किन व्यक्तियों को बेचकर राशि प्राप्त की गई है।

14. कृषि भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकते हैं यदि स्व. नंदरू ने वास्तव में ग्राम बापड़ी की कोई पैतृक भूमि विक्रय की हो तो प्रतिवादी पक्ष उक्त संबंध में ऐसे राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था, जिनमें की स्व. नंदरू के पूर्व पुरुषों का नाम बतौर स्वामी इंद्राज रहा हो किन्तु प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और न ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण स्पष्ट किया गया है। प्रतिवादीगण इस संबंध में भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं कि स्व. नंदरू द्वारा कथित पैतृक संपत्ति कब और किस व्यक्ति को विक्रय की गई थी।

15. अवलोकनीय है कि स्वयं चरणदास प्रति.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण पृष्ठ-4 में यह बताया है कि उसे किसी जमीन की कोई जानकारी नहीं है,। इसी तरह सुखदास प्रति.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण पृष्ठ-4 में यह बताया है कि उसे नंदरू की पैतृक संपत्ति का खसरा, रकबा नहीं मालूम। नंदरू ने जमीन कब बेचा था कितनी राशि में बेचा था उसे नहीं मालूम उसने कथित पैतृक संपत्ति का खसरा, नक्शा भी पेश नहीं किया है और खसरा या रकबा कितना था उसे नहीं मालूम। बापड़ी की जमीन नंदरू ने किस सन् में बेचा था उसे नहीं मालूम। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पक्ष को इन अभिवचनाओं की अपेक्षाकृत कि, विवादित भूमि स्व. नंदरू की पैतृक संपत्ति रही है, वादीगण के यह अभिवचन अधिक

विश्वसनीय प्रकट होते हैं कि विवादित भूमिया स्व. नंदरू की स्वअर्जित संपत्ति रही है।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपने स्वयं के इन अभिवचनों को अधिसंभाव्यता की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण की तथा उनकी पैतृक संपत्ति है। अतः वादप्रश्न क.1 का निष्कर्ष **“प्रमाणित नहीं”** अंकित किया गया।

### **वादप्रश्न क.2 की विवेचना एवं निष्कर्ष—**

17. इस संबंध में साहेबदास वा.सा.1 ने वादपत्रीय अभिवचनों के अनुरूप ही शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया है कि उसके पिता स्व. नंदरू ने ग्राम पुरसीडी में खसरा नंबर 43/2ख रकबा 1.46 एकड़ भूमि में से 0.50 डिस. कृषि भूमि वादी क.2 रामबतीबाई को विक्रय कर स्वामित्व व आधिपत्य सौंप दिया था तथा शेष बची कुल भूमि 1.50 एकड़ एवं ग्राम बापड़ी की भूमि खसरा नंबर 398/5 रकबा 0.08 डिस. भूमि मय मकान एवं हाताबाड़ी उसके तथा स्व. प्रेमचंद के हक में वसीयत कर दिया था।

18. वादीगण की ओर से पंजीयन लिपिक अनुराग अहिरवाल वा.सा.3 के न्यायालयीन कथन भी करवाये गये हैं, न्यायालयीन साक्ष्य में वह वसीयतनामा दिनांक 23.04.93 के, रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड सहित उपस्थित हुआ है और यह बताया है कि वसीयतनामा दिनांक 23.04.93 नंदरू पिता ठेकल जाति लोधी निवासी ग्राम बापड़ी द्वारा निष्पादित किया गया है, इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी वसीयत प्रदर्श पी-4 के निष्पादन की पुष्टि की है। वसीयत प्रदर्श पी-4 में अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में सुखदास तथा दिलीप कुमार के नाम अंकित हैं।

19. उक्त साक्षीगण में से दिलीप वा.सा.2 के न्यायालयीन कथन करवाये गये हैं जिसमें उक्त साक्षी ने वसीयत प्रदर्श पी-4 के निष्पादन की पुष्टि करते हुए यह बताया है कि उक्त वसीयतनामा उसके सामने तथा सुखदास के सामने स्व. नंदरू बनोटे ने स्वेच्छा दस्तावेज लेखक माखनलाल से तैयार करवाया था। जो कि माखनलाल ने स्व. नंदरू के बताये अनुसार टाईप करने के बाद स्व. नंदरू को उसके समक्ष पढ़कर सुनाया था जिसके बाद नंदरू ने वसीयतनामा स्वीकार कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपना अंगूठा निशान लगाया था। उसके बाद बतौर गवाह उसने तथा सुखदास ने भी हस्ताक्षर किये थे। उक्त वसीयतनामा उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड कराने हेतु उसी दिन प्रस्तुत किया गया था। पंजीयन कार्यालय में भी स्व. नंदरू ने रजिस्ट्रेशन के समय अंगूठा निशानी लगाया था उसके बाद उसने और सुखदास ने हस्ताक्षर किये थे। दस्तावेज लेखक माखनलाल बसेना की वर्ष 1996-97 में मृत्यु हो चुकी है।

20. प्रतिपरीक्षण में उक्त दिलीप वा.सा.2 ने यह बताया है कि स्व. नंदरू को वह इसलिए जानता है क्योंकि ग्राम बापड़ी में उसकी रिश्तेदारी है, उस समय बापड़ी के भूतपूर्वक विधायक भागवत भाड भी नंदरू के साथ आये थे। वसीयत लिखे जाने के समय नंदरू स्वस्थ था तथा बोलचाल रहा था। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन स्वभाविक दर्शित होते हैं, प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए जिनके आधार पर यह शक की जा सके की उक्त साक्षी जानबुझकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध बोलेंगे।

21. इस प्रकार पंजीयन लिपिक अनुराग व.सा.3 तथा अनुप्रमाणक साक्षी दिलीप वा.सा.2 ने भी वसीयत प्रदर्श पी-4 के निष्पादन की पुष्टि की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श पी-4 प्रथमदृष्ट्या दो साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित और रजिस्टर्ड दर्शित होती है। न्यायदृष्टांत **रामदास विरुद्ध-महेश सिंह एवं अन्य-2007(2) एम0पी0एच0टी0-266**, में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वसीयत प्रथमदृष्ट्या सम्यक रूप से निष्पादित और विधि के अनुसार अनुप्रमाणित की होना प्रतीत होती हों, तो सम्यक निष्पादन की उपधारणा की जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या यह उपधारणा निर्मित होती है कि वसीयत प्रदर्श पी-4 सम्यक रूप से निष्पादित की गई होगी और पंजीयक में वसीयतकर्ता स्व. नंदरू की संतुष्टि के बाद ही विलेख को रजिस्टर्ड किया होगा।

22. उक्त वर्णित तथ्यों के विपरीत प्रतिवादीगण के यह अभिवचन है कि वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है, उसमें अन्य व्यक्ति का अंगूठा लगाया गया है वसीयतकर्ता स्व. नंदरू लकवाग्रस्त था। अतः अब उक्त तथ्यों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर अंतरित हो जाता है। अवलोकनीय है कि प्रतिवादी स्वयं सुखदास प्रति.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण पृष्ठ-2 में यह स्वीकार किया है कि उसे ज्ञात हुआ था कि उसके पिता द्वारा विवादित संपत्ति बड़े पुत्र स्व. प्रेमचंद एवं वादी साहेबलाल को वसीयत कर दी गई थी। वसीयतनामा एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.04.93 की जानकारी उसे दो-तीन दिन पहले हो गई थी जिस पर उसने अपने पिता स्व. नंदरू, भाई प्रेमचंद, साहेबदास एवं रामबतीबाई के विरुद्ध एक दावा, विवादित भूमि स्व. प्रेमचंद एवं साहेबदास तथा रामबतीबाई को हस्तांतरित करने से रोकने हेतु इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो कि पेशी में उपस्थित न होने के कारण खारिज हो चुका है।

23. वादीगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद क्र.18ए/93 पक्षकार सुखदास वगैरह विरुद्ध नंदरू वगैरह की आदेश पत्रिका दिनांक 20.10.93 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-6 प्रस्तुत की गई हैं जिसका कोई खंडन नहीं किया गया है अपितु उक्तानुसार प्रतिवादी सुखदास ने उक्त प्रकरण खारिज होने के संबंध में स्वीकारोक्ति की है। अतः उक्त आदेश पत्रिका प्रदर्श पी-6 के समर्थन में वादीगण के यह अभिवचन विश्वसनीय प्रकट होते हैं कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित संपत्ति को हस्तांतरण रोकने के संबंध में व्यवहार वाद क्र. 18ए/93 प्रस्तुत किया गया था जो खारिज हो चुका है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वसीयत प्रदर्श पी-4 की जानकारी प्रारंभ से रही है।

24. उक्त वर्णित परिस्थिति में प्रतिवादीगण की यह प्रतिरक्षा स्वभाविक प्रकट नहीं होती है कि वसीयत प्रदर्श पी-4 में, निष्पादक के स्थान पर स्व.नंदरू ने नहीं वरन् अन्य व्यक्ति ने अंगूठा लगाया है अन्यथा प्रतिवादीगण निश्चित ही तत्समय से ही उचित विधिक कार्यवाही कर स्वयं के समक्ष स्व. नंदरू के अंगूठा निशानी ले सकते थे और अपनी इस शंका का समाधान कर सकते थे कि वसीयत प्रदर्श पी-4 में अंकित अंगूठा निशानी तथा उनके द्वारा स्वयं के समक्ष लिये गये अंगूठा निशानी में क्या वास्तव में कोई अंतर है।

25. यद्यपि वादी साहेबलाल वा.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण पैरा-21 में स्व. नंदरू को लकवा लगने की बात स्वीकार किया है किन्तु आगे उसने यह बताया है कि दवाई, ईलाज होने पर स्व. नंदरू तंदरुस्त हो गये थे, 1993 में उसके पिता जी लकवाग्रस्त नहीं थे। इसके विपरीत प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि कथित लकवा स्व. नंदरू की मस्तिष्क की दशा को प्रभावित

करने वाला था और वसीयत प्रदर्श पी-4 के निष्पादन के समय स्व. नंदरू स्वस्थ मनोदशा में नहीं थे।

26. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं साक्ष्यगत विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण, वसीयत प्रदर्श पी-4 के फर्जी एवं कूटरचित होने के संबंध में अपने अभिवचनों को अधिसंभाव्यता की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद प्रश्न क.2 का निष्कर्ष **“प्रमाणित नहीं”** अंकित किया गया।

### **वादप्रश्न क.3 का विवेचना एवं निष्कर्ष—**

27. यद्यपि इस संबंध में वादीगण के वादपत्र के पैरा-9 में यह अभिवचन है कि विवादित संपत्ति में वादीगण के आधिपत्य में किसी प्रकार का दखल देने या बाधा उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से निषेधित किया जावे किन्तु अवलोकनीय है कि ऐसे कोई अभिवचन नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा वास्तव में भौतिक रूप से भी, मौके पर कोई दखल वादीगण के आधिपत्य में किया जा रहा हो, यहां तक की कोई मौखिक साक्ष्य भी इस बिन्दु पर नहीं दिया गया है। अतः यह प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित संपत्ति में कोई दखल किया जा रहा है। अतः वादप्रश्न क.3 का निष्कर्ष **“प्रमाणित नहीं”** अंकित किया गया।

### **वादप्रश्न क.4 की विवेचना एवं निष्कर्ष—**

28. अवलोकनीय है कि वादीगण द्वारा वादीपत्रीय पैरा-9 के अनुसार यह घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है कि, विवादित संपत्ति एक मात्र वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा उसमें से खसरा नंबर 43/2ख रकबा 0.50 डिस. भूमि एक मात्र वादी क.2 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है और राजस्व अभिलेखों में वादीगण के साथ प्रतिवादी क.1 से 3 का संयुक्त नामांतरण अवैध एवं शुन्य है साथ ही इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि प्रतिवादीगण वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य में किसी प्रकार का दखल न दे और बाधा उत्पन्न न करे तथा राजस्व न्यायालय में बंटवारा की कार्यवाही भी जारी न रखे।

29. घोषणात्मक अनुतोष के संबंध में अवलोकनीय है कि वादप्रश्न क.1 के निष्कर्ष अनुसार विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति होना प्रमाणित नहीं है, इसके विपरीत वादीगण के यह अभिवचन अधिसंभाव्यता की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित पाये गये हैं कि विवादित संपत्ति स्व. नंदरू की स्वअर्जित संपत्ति है साथ ही वादप्रश्न क.2 के अंतर्गत यह भी प्रमाणित नहीं है कि वसीयत प्रदर्श पी-4 फर्जी एवं कूटरचित है। इसके विपरीत वादीगण के यह अभिवचन अधिसंभाव्यता के स्तर तक प्रमाणित पाये गये हैं कि वसीयत प्रदर्श पी-4 सम्यक रूप से निष्पादित एक रजिस्टर्ड वसीयत है जिसके अनुसार स्व. नंदरू ने भूमि खसरा नंबर 43/2ख में से रकबा 0.96 एकड़ तथा खसरा नंबर 46/1ख रकबा 0.54 एकड़ तथा मकान हत्ताबाड़ी एवं ग्राम बापड़ी स्थिति भूमि खसरा नंबर 398/5 वादी क.1 तथा वादी क.2 के पति एवं वादी क.3 से 6 के पिता स्व. प्रेमचंद को वसीयत के माध्यम से प्रदान की है।

30. यह अविवादित तथ्य है कि प्रतिवादी क.2 से 6 उक्त स्व. प्रेमचंद की पत्नी एवं संतान होते हुए विधिक प्रतिनिधि है, अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वे सभी स्व. प्रेमचंद को प्राप्त होने वाली संपत्ति के समान रूप से अधिकारी होंगे। ऐसी स्थिति में वादीगण



निश्चित ही इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि खसरा नंबर 43/2ख में से रकबा 0.96 एकड़ तथा खसरा नंबर 46/1ख रकबा 0.54 एकड़ तथा मकान हाताबाड़ी एवं ग्राम बापड़ी स्थिति भूमि खसरा नंबर 398/5 रकबा 0.08 डिस. के स्वामी है।

31. खसरा नंबर 43/2ख की शेष भूमि 0.50 डिस. के संबंध में यह अभिवचन है कि स्व. नंदरू ने उक्त भूमि विक्रय पत्र प्रदर्श पी-1 के माध्यम से वादी क.2 रामबतीबाई को विक्रय कर दी थी। वादी स्वयं साहेबदास वा.सा.1 ने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि स्व. नंदरू ने दिनांक 23.04.93 को भूमि खसरा नंबर 43/2ख रकबा 1.46 एकड़ में से 0.50 डिस. कृषि भूमि वादी क.2 रामबतीबाई को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर स्वामित्व एवं आधिपत्य सौंप दिया था। उक्त विक्रयपत्र के निष्पादन के कथित तथ्य के समर्थन में विक्रयपत्र दिनांक 23.04.93 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत की गई है।

32. सुखदास प्रति.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि रामबतीबाई को किये गये विक्रय की जानकारी उसे पहले से हो गई थी। आगे प्रतिपरीक्षण पृष्ठ-3 में सुखदास प्रति.सा.1 ने यह बताया है कि जिस दिन उसने पूर्ववाद प्रस्तुत किया था उसी दिन उसे यह ज्ञात हो गया था कि उसके पिता ने वादग्रस्त जमीन अपने पुत्रों प्रेमचंद एवं साहेबदास को वसीयत कर दी है और 50 डिस. जमीन रामबतीबाई को विक्रय कर दी थी। इसी प्रकार चरणदास प्रति.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि नंदरू ने जिस समय परसोड़ी की जमीन की रजिस्ट्री रामबतीबाई के पक्ष में दिनांक 23.04.93 को किया था उस समय वह मौजूद नहीं था। साक्ष्य में उक्तानुसार की गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर वादीगण के यह अभिवचन संभाव्य प्रकट होते हैं कि स्व. नंदरू ने वादी क.2 रामबतीबाई को भूमि खसरा नंबर 43/2ख रकबा 1.46 एकड़ में से 0.50 डिस. भूमि विक्रय की है और इस आधार पर वादी क.2 रामबतीबाई उक्त वर्णित भूमि 0.50 डिस. की स्वामी है। अतः वादी क.2 भी निश्चित ही यह घोषणा प्राप्त करने की विधितः अधिकारी है कि खसरा नंबर 43/2ख रकबा 0.50 डिस. भूमि एक मात्र उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है।

33. विवादित संपत्ति में वादीगण के संयुक्त आधिपत्य का लथ्य स्वयं प्रतिवादी सुखदास प्रति.सा.1 ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण द्वारा ही कास्त की जा रही है। अतः वादीगण इस आशय की वांछित उद्घोषणा भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे विवादित भूमियों के आधिपत्यधारी है।

34. स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में अवलोकनीय है कि वादीगण का विवादित संपत्ति में आधिपत्य प्रमाणित है और उक्त आधिपत्य स्वत्व पर आधारित होना पाया गया है अतः वादीगण विधिपूर्ण आधिपत्य को भविष्य में भी संरक्षित करवाने के विधितः अधिकारी है। जहां तक प्रश्न स्थायी निषेधाज्ञा के इस अनुतोष के संबंध में है कि प्रतिवादीगण को राजस्व न्यायालय में बंटवारा कार्यवाही से रोका जाये तब यह अवलोकनीय है कि विनिर्णय अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 के अनुसार ऐसी स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है साथ ही यह भी अवलोकनीय है कि स्वयं वादी ने संशोधन के माध्यम से वादपत्र की कंडिका-8 में यह अभिवचन किये हैं कि बंटवारा आवेदन पत्र राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2010 के तहत निरस्त किया जाकर पक्षकारों को स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से करवाने आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति में

भले ही वादीगण अपने पक्ष की, सिविल न्यायालय द्वारा की गई स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा के माध्यम से अपना स्वत्व, राजस्व न्यायालय के समक्ष रखकर राजस्व अभिलेखों में सुधार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है किन्तु उक्त वांछित अनुतोष अब औचित्यहीन है।

35. वादप्रश्न क्र.4 की उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित है कि वादीगण विवादित संपत्ति पर स्वयं के स्वत्व, आधिपत्य की घोषणा के साथ ही आधिपत्य को भविष्य में संरक्षित रखे जाने संबंधी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधितः पात्र व्यक्ति है। अतः वादप्रश्न क्र.4 का निष्कर्ष **“प्रमाणित है”** अंकित किया गया।

### सहायता एवं व्यय—

36. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं के इन वादपत्रीय अभिवचनों को अधिसंभाव्यता की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि विवादित संपत्ति स्व. नंदरू की स्वअर्जित संपत्ति थी जिसमें से खसरा नंबर 43/2ख में से 0.50 डिस. भूमि स्व. नंदरू द्वारा वादी क्र.2 रामबतीबाई को विक्रय की गई हैं तथा शेष संपत्ति अर्थात् ग्राम परसोड़ी स्थित खसरा नंबर 43/2ख में से 0.96 एकड़ भूमि, खसरा नंबर 46/1ख रकबा 0.54 एकड़ तथा ग्राम बापड़ी स्थित मकान, हाताबाड़ी खसरा नंबर 398/5 रकबा 0.08 डिस. उनके द्वारा वादी क्र.1 तथा वादी क्र.2 के पति तथा शेष वादीगण के पिता स्व. प्रेमचंद के पक्ष में वसीयत द्वारा अंतरित कर दी गई हैं और वादी क्र.2 से 6 स्व. प्रेमचंद के उत्तराधिकारी हैं। अतः वाद स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्रीत किया जाता है—

1. यह घोषित किया जाता है कि, वादीगण ग्राम परसोड़ी तहसील लांजी, जिला बालाघाट स्थित भूमि, खसरा नंबर 43/2ख रकबा 1.46 एकड़ में से 0.96 एकड़ भूमि तथा खसरा नंबर 46/1ख रकबा 0.54 एकड़ भूमि तथा ग्राम बापड़ी स्थित मकान हाताबाड़ी खसरा नंबर 398/5 रकबा 0.08 डिस. के, स्व. नंदरू द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 23.04.93 के आधार पर, एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।
2. यह घोषित किया जाता है कि वादी क्र.2 रामबतीबाई, ग्राम परसोड़ी तहसील लांजी, जिला बालाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर 43/2ख रकबा 1.46 एकड़ में से 0.50 डिस. भूमि की, एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।
3. प्रतिवादी क्र.1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि, वे उक्त वर्णित विवादित संपत्ति में वादीगण के आधिपत्य में किसी प्रकार से कोई अवैधानिक दखल ना करें।
4. प्रतिवादीगण स्वयं का तथा वादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
5. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या म.प्र. व्यवहार न्यायालय अधिनियम एवं नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार 100/— अथवा दोनों में से जो भी कम हो वाद-व्यय में जोड़ा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे डिक्टेशन पर टंकित।

(सचिन ज्योतिषी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
बालाघाट

(सचिन ज्योतिषी)

द्वितीय व्य.न्यायाधीश वर्ग-2  
बालाघाट